कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

कार्यवाही विवरण दिनांक 07.02.2020

वित्तीय वर्ष 2019–20 की राजस्व वसूली की समीक्षा आयुक्त (श्री ऋतुराज रघुवंशी) न.पा.नि.भिलाई द्वारा जोन आयुक्त 01,02,03, एवं 04 की उपस्थिति में राजस्व करों की वसूली हेतु अधिकृत मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लि. के अधिकृत प्रधिनिधियों की उपस्थिति में लिया गया। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये :–

1. श्री ए. के. द्विवेदी, उपायुक्त -I
2. श्री तरूणपाल लहरे उपायुक्त -II
3. श्री अमिताभ शर्मा जोन आयुक्त, जोन 01
4. श्री बी. के. देवांगन कार्यपालन अभियंता जोन 02
5. श्री डी. के. वर्मा कार्यपालन अभियंता जोन 03
6. श्री सुनील जैन, जोनआयुक्त, जोन–05
7. श्री संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता, जोन–04
8. श्री संजय वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन–02
9. श्री परमेश्वर चन्द्राकर, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन–03
10. श्री एम. एस. शोरी, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन–04
11. श्री जय कुमार जैन, राजस्व निरीक्षक, मुख्यालय
12. श्री बी. एल. असाटी, प्रभारी सहायक अधीक्षक सम्पत्तिकर शाखा
13. श्री पी.सी. सार्वा, जनसम्पर्क अधिकारी
14. श्री दिनेश बेलचंदन, लिपिक राजस्व
15. श्री बालकृष्ण नायडू, प्र.सहायक राजस्व अधिकारी, जोन–01

1. सर्व जोनआयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जितने बड़े बकायादार हैं, उन्हें नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु नोटिस निर्धारित समयावधि के लिये जारी किया जाये और निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में कुर्की वांरट की कार्यवाही की जावे। बड़े बकायादारों की सूची भी समाचार पत्रों में दिये जावें। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु राशि वसूली हेतु बिल जारी करेंगे। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाये की 31 मार्च 2020 के पूर्व सभी राजस्व करो का भुगतान कर दिया जावे। अन्यथा 31 मार्च 2020 के पश्चात देय बकाया करों पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार के साथ वसूली की जावेगी।

   निगम क्षेत्र में स्थित श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भवनों पर देय बकाया राशि के संबंध में उस क्षेत्र के भवन स्वामियों द्वारा आंशिक राशि का भुगतान किया जाता है तो आंशिक राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया जावे तथा शेष राशि की वसूली नियमानुसार की जावे।

   (सभी जोन आयुक्त, सभी सहायक राजस्व अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

2. जुनवानी भिलाई स्थित सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड मॉल की सत्यता जांच परीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

   (जोन आयुक्त/ सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्र. 1 एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

क्रमशः2

3\. प्रत्येक जोन/वार्ड में दिनांक 15.02.2020 तक संपत्तिकर, समेकितकर, शिक्षाउपकर, जलकर, भू–भाटक, यूजर चार्ज आदि करो की 70 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने सभी जोनआयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारी एवं मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रबंधक को निर्देश दिये गये। शेष बकाया राजस्व करो की वसूली 31 मार्च 2020 के पूर्व अनिवार्यतः करने के निर्देश भी दिये गये। समयावधि में राजस्व करो की वसूली नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(सर्व जोन आयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

4\. निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित निर्मित भवनों पर संपत्तिकर जमा कराने के पश्चात ही भवन निर्माण पूर्णताः प्रमाण पत्र जारी किये जावे। ऐसे भवन जो निगम से बिना अनुज्ञा के निर्माण किये गये है, उन पर अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

(जोन आयुक्त / सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्र. 1,2 3एवं 4 एवं भवन निर्माण अधिकारी न.पा.नि. भिलाई)

5\. राजस्व वसूली की समीक्षा प्रत्येक शुक्रवार समय 4.00 बजे निर्धारित किया गया है। सर्व जोन आयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारी अपने–अपने जोन की राजस्व वसूली की समीक्षा कर अद्यतन वसूली से सभी मदो का पृथक–पृथक मदवार बकाया मांग, चालू मांग एवं कुल मांग का विवरण प्रत्येक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(सभी जोन आयुक्त, सभी सहायक राजस्व अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

6\. निगम क्षेत्रांतर्गत कुल नल कनेक्शनधारियो की संख्या जोनवार/वार्डवार जिसमें वैध/अवैध एवं नियमित किये गये नल कनेक्शन (आवासीय, आवास सह व्यवसाय एवं औद्योगिक), बल्क कनेक्शनों की संख्या तथा मांग एवं वसूली आदि का विवरण सहित सूची आगामी समीक्षा बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत की जावे।

(सर्व जोन आयुक्त/ सहायक राजस्व अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

7\. सर्व जोनआयुक्त/सहायक राजस्व अधिकारी एवं मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा.लि. को 15 फरवरी 2020 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 70 प्रतिशत राशि की वसूली करने के निर्देश दिये गये हैं। नियत समय तक लक्ष्य अनुसार नियत किये गये वसूली प्रतिशत पूर्ण नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जायेगें।

(सर्व जोन आयुक्त,/सहायक राजस्व अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई एवं प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई)

उपरोक्त दिये गये निर्देश का पालन सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सुनिश्चित करें और पालन प्रतिवेदन से अवगत करावे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमशः3

पृ.क./एफ–   /समीक्षा बैठक/3621   भिलाई, दिनांक 13/02/2020

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, I/II नगर पालिक निगम भिलाई।
3. उपायुक्त, I/II नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन –1,2,3 एवं 4, जलकार्य नगर पालिक निगम भिलाई सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. जनसंपर्क अधिकारी/लेखाधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. सहायक राजस्व अधिकारी, जोन 1,2,3 एवं 4 नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख........कम्प्यूटर........नगर पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. प्रबंधक, मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक प्रा. लिमि. शाखा–भिलाई सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई